न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), आगरा।
प्रकीर्ण वाद संख्या–279/2022
श्री मुकन्दीलाल आदि बनाम श्री रूप सिंह आदि

दिनांक–04.07.2026

1. पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 4ग के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 4ग

2. प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 4ग समर्थित शपथपत्र 5ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निष्पादन वाद संख्या–08/2010, श्री मुकन्दीलाल आदि बनाम रूप सिंह आदि इस न्यायालय में लंबित थी, जिसमें दिनांक 06.09.2022 नियत थी। प्रार्थी सुबह से ही न्यायालय में उपस्थित था। पुकार पर वह न्यायालय के रीडर को सूचित कर अपने अधिवक्ता को बुलाने चला गया, परंतु उसके अधिवक्ता अपने चैंबर में नहीं मिले, क्योंकि वह किसी न्यायालय में व्यस्त थे। जैसे ही प्रार्थी अधिवक्ता अपने चैंबर में पहुंचे, वह उन्हें साथ लेकर न्यायालय में आया, तब उसे यह ज्ञात हुआ कि न्यायालय द्वारा निष्पादन वाद की पत्रावली प्रार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दी गयी है। इसमें प्रार्थी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह तो सुबह से न्यायालय में बैठा था और पुकार पर अपने अधिवक्ता को बुलाने चला गया था। प्रार्थी उक्त निष्पादन वाद को गुण–दोष के आधार पर लड़ना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी सफलता की पूरी आशा है। यदि आदेश दिनांकित 06.09.2022 अपास्त नहीं किया जाता है और निष्पादन वाद की पत्रावली मूल नंबर पर पुनर्स्थापित नहीं की जाती है, तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति और चोट पहुंचेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांकित 06.09.2022 को अपास्त किये जाने एवं निष्पादन वाद संख्या–08/2010 की पत्रावली मूल नंबर पर पुनर्स्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निष्पादन वाद संख्या–08/2010, श्री मुकन्दीलाल आदि बनाम रूप सिंह आदि न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2022 को प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वह नियत दिनांक को न्यायालय में सुबह से ही उपस्थित था और पुकार पर न्यायालय के रीडर को सूचित कर अपने अधिवक्ता को बुलाने चला गया था, परंतु उसके अधिवक्ता किसी अन्य मामले में किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त थे। जैसे ही प्रार्थी अधिवक्ता अपने चैंबर में पहुंचे, वह उन्हें साथ लेकर न्यायालय में आया, तब उसे यह ज्ञात हुआ कि न्यायालय द्वारा निष्पादन वाद की पत्रावली प्रार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दी गयी है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं है। वाद के गुण दोष पर निस्तारण के लिये, सारगर्भित न्याय निर्णयन एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के अनुपालन में समुचित सुनवाई का अवसर देने के आशय से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन

प्रार्थनापत्र समय सीमा के अंदर है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र 4ग न्यायहित में स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार किया जाता है। निष्पादन वाद संख्या–08/2010 में पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 अपास्त किया जाता है। तद्नुसार निष्पादन वाद संख्या–08/2010, श्री मुकन्दीलाल आदि बनाम रूप सिंह आदि की पत्रावली अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित की जाए। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12.08.2026 को पेश हो।

ह0/–
(अम्बर राणा)
सिविल जज(जू0डि0),
आगरा
J.O. Code- UP-3378